



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226355
CG-DL-E-01042021-226355

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1331]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943

No. 1331]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

(आयकर)

का.आ. 1442(अ).—जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा ईरान इस्लामी गणराज्य की सरकार के बीच एक करार (जिसे इसके बाद करार कहा गया है) पर नई दिल्ली में 17 फरवरी, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे, जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध में दिया गया है;

और जबकि, उक्त करार 29 सितम्बर, 2020 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि उक्त करार के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 2 के अनुसार, उक्त करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ख) में व्यवस्था है कि इस करार के उपबंध, भारत में, किसी कैलेण्डर वर्ष जिसमें वह करार प्रवृत्त हुआ है, के बाद आने वाले अप्रैल माह के पहले दिन अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी राजकोषीय वर्ष में उत्पन्न आय पर करों के संबंध में लागू होंगे;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न उपर्युक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अनुबंध
आय पर करों के संबंध में
दोहरे कराधान का परिहार करने
और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए
भारत गणराज्य की सरकार
तथा
ईरान इस्लामी गणराज्य की सरकार
के बीच
करार

भारत गणराज्य की सरकार तथा ईरान के इस्लामी गणराज्य की सरकार,

गैर-कराधान हेतु अवसर सृजन किए बिना अथवा कर अपवंचन अथवा परिहार के माध्यम से कराधान कम करके (तीसरे राज्यों के निवासियों के अप्रत्यक्ष लाभ हेतु इस करार में प्रदान की गई छूट प्राप्त करने पर केन्द्रित संधि शोपिंग व्यवस्थाओं के माध्यम सहित) आय पर करों के बारे में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए एक करार सम्पन्न करने आशय से,

इस प्रकार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

शामिल व्यक्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

शामिल कर

1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं।
2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों सहित कुल आय पर, पूंजीगत अभिमूल्यन पर कर अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा।
3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा, वे हैं :
 - क) ईरान इस्लामी गणराज्य के मामले में :

आयकर;
 - ख) भारत के मामले में :

आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला अधिभार भी शामिल है।
4. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को यथोचित अवधि के भीतर अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

क)

- (i) "ईरान इस्लामी गणराज्य" शब्द का अर्थ ईरान इस्लामी गणराज्य की सम्प्रभुता तथा/अथवा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र है।
- (ii) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;

ख) "व्यक्ति" शब्द में:

- (i) कोई व्यक्ति,
- (ii) कोई कम्पनी, व्यक्तियों की कोई संस्था और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई के रूप में समझा जाता है;

ग) "कम्पनी" शब्द से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

घ) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" शब्दों का अर्थ संदर्भ की अपेक्षानुसार ईरान इस्लामी गणराज्य अथवा भारत गणराज्य है;

ङ.) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

च) "अंतरराष्ट्रीय यातायात" शब्दों से अभिप्रेत है - एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा परिचालित किसी जलयान अथवा वायुयान द्वारा परिवहन से है सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;

छ) "सक्षम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है:

- (i) ईरान इस्लामी गणराज्य के मामले में, आर्थिक कार्य और वित्त मंत्री अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;
- (ii) भारत में, वित्त मंत्री, भारत सरकार, या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ज) 'राष्ट्रिक' शब्द का, संविदाकारी राज्य के संबंध में अर्थ:

- (i) उस संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति; और
- (ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारी और संस्था, जिसे अपनी इस तरह की हैसियत उस संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस करों के प्रयोजनों के लिए उस राज्य, जिस पर यह करार लागू होता है, के कानूनों के अंतर्गत उस समय होता है और यह अर्थ उस राज्य में लागू किए जाने वाले कर कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं।

अनुच्छेद 4**निवासी**

1. इस करार के प्रयोजनार्थ “एक संविदाकारी राज्य का निवासी” शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, पंजीकरण के स्थान, निगमन के स्थान, प्रबन्धन के स्थान अथवा इसी स्वरूप के किसी ऐसे ही कारण से कर लगाया जा सकता है और, इसमें वह राज्य और इसका कोई राजनयिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है। तथापि, इस शब्द में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर केवल उस राज्य में स्थित स्रोतों से होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण यदि कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :
 - क) उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो; यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);
 - ख) यदि उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसे दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो उसे केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका पारंपरिक निवास हो;
 - ग) यदि उसका पारंपरिक रूप से दोनों ही राज्यों में निवास हो अथवा उनमें से किसी भी में न हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है;
 - घ) यदि वह दोनों राज्यों में से किसी का भी निवासी नहीं है, तथा/या पूर्व पैराओं के तहत उसे संविदाकारी राज्यों में से एक का निवासी नहीं माना जाता है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे।
3. जहां व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ-1 के उपबंधों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-संस्थान स्थित है।

अनुच्छेद 5**स्थायी संस्थापन**

1. इस करार के प्रयोजनार्थ “स्थायी संस्थापन” पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।
2. “स्थायी संस्थापन” पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :
 - क) प्रबंधन का कोई स्थान;
 - ख) कोई शाखा;
 - ग) कोई कार्यालय;
 - घ) कोई कारखाना;
 - ड.) कोई कार्यशाला;
 - च) कोई बिक्री केन्द्र;
 - छ) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भण्डार, जो दूसरों को भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हो;
 - ज) कोई फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों; और
 - झ) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान।

3. क) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, संयोजन अथवा अधिष्ठापन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप स्थई अधिष्ठापन केवल तभी माने जाएंगे यदि ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 270 दिनों से अधिक समय तक चले।
- ख) सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे हुए कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से किसी उद्यम की परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, तभी स्थायी संस्थापन माने जाएंगे, जहां उस स्वरूप के क्रियाकलाप किसी 12 महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए देश के भीतर जारी रहती हों (उसी अथवा संबद्ध परियोजना हेतु)।
4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद भी “स्थायी संस्थापन” पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा:
- क) उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना;
- ख) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;
- ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना;
- घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;
- ड.) उद्यम के लिए केवल प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप, को चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;
- च) उप-पैराग्राफ (क) से (ड.) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो।
5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य करता है, वहां उन कार्यकलापों के संबंध में, जिन्हें उक्त व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उस उद्यम के स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को :
- क) उस उद्यम के नाम से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह पारंपरिक रूप से उस प्राधिकार का प्रयोग भी करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित न हों, जिन्हें यदि वह कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है, को उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा; अथवा
- ख) ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह फिर भी पारंपरिक रूप से प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो; या
- ग) स्वयं, उद्यम के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया प्रथमोल्लिखित राज्य में पारंपरिक रूप से कार्य का आर्डर प्राप्त करता हो अथवा प्रफॉर्मा बिल जारी करता हो।
6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम को पुनः बीमा करने के मामले को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना तभी माना जाएगा, यदि वह स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस अन्य राज्य के क्षेत्र में बीमे का प्रीमियम एकत्र करता है अथवा वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है।

7. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा।

8. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, को उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 6

निम्नलिखित से आय

अचल सम्पत्ति

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (जिसमें कृषि अथवा वानिकी की आय भी शामिल है) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।
2. “अचल सम्पत्ति” पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है, के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है। इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा तेल, गैस और पत्थर की खदानों समेत अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार। जलयान और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे।
3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने, अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर लागू होंगे।
4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे।
2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, वे लाभ माने जाएंगे जिनके होने की संभावना तब होगी जब एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगे हुए कोई और भिन्न उद्यम हो और वे उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।
3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार लगाए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस राज्य में उस राज्य के कर कानूनों के उपबंधों और उनकी परिसीमाओं के अनुसार किए

गए हों, जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों। तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा राशियों के संबंध में उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा कमीशन के रूप में, निष्पादित विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंधन के लिए अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न) यदि कोई हों, और अदा की गई हों तो उसके संबंध में ऐसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार एक स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उस रकम को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किसी अन्य कार्यालयों को पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा निष्पादित विशेष सेवाओं अथवा प्रबंधन के लिए कमीशन या अन्य प्रभारों के रूप में अथवा किसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर उद्यम अथवा इसके किसी अन्य कार्यालय के कार्यालय प्रमुख को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न व्यय) राशियाँ प्रभारित की गई हों।

4. जहां एक संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी। तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुकूल होगा।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

अंतर्राष्ट्रीय यातायात

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा वायुयानों के प्रचालन से सीधे संबद्ध निवेशों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ के रूप में माना जाएगा यदि वे ऐसा व्यवसाय करने के लिए उसके अभिन्न अंग हैं और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त उद्यम अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भागीदारी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे, परंतु ये उपबंध प्राप्त लाभ के केवल उतने हिस्से पर लागू होंगे जितना संयुक्त अभियान में इसके हिस्से के अनुपात में अर्जित किया गया हो।

अनुच्छेद 9

सहयोगी उद्यम

1. जहां

क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

- ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाएंगी तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।
2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसका लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांश का हितभागी स्वामी अन्य संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभार्य कर लाभांशों की सकल राशि के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस पैराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कम्पनी कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।
3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अभिप्राय शेयरों, "जॉइस्सांस" शेयरों अथवा "जॉइस्सांस" अधिकारों, संस्थापकों के शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है (लाभ की भागीदारीता, ऋण के दावे न हों), और अन्य निगम अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस सम्पत्ति के संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।
5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हों, अथवा जब तक कि जिस सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद 11**ब्याज**

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों में कुछ भी होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाला ब्याज उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगा यदि यह उस दूसरे संविदाकारी राज्य के केंद्रीय बैंक द्वारा, अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार के सम्पूर्ण नियंत्रण अथवा स्वामित्व वाली संस्था द्वारा उस दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण को अदा किया जाता हो तथा उनके लाभकारी स्वामित्व वाला हो।
4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “ब्याज” पद से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हों और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हों। विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा।
5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।
6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो। तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में ऋण जिस पर ब्याज प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।
7. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए यह रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगियों के आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 12**रायल्टियां**

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टी पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि रायल्टी का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, रायल्टी की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “रायल्टियाँ” शब्द का अभिप्राय है- किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट, जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां।
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टी का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टी उद्भूत हुई हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस संपत्ति के अधिकार के बारे में रायल्टी अदा की गयी हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।
5.
 - (क) रायल्टियां किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टी अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में दायित्व जिस पर रायल्टी प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार की रायल्टी इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार की रायल्टी उस राज्य में उद्भूत हुआ मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।
 - (ख) जहां उप-पैराग्राफ (क) के अंतर्गत रायल्टियाँ किसी एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत नहीं होती है और रायल्टियाँ प्रयोग, अथवा प्रयोगाधिकार, अधिकार अथवा सम्पत्ति से संबंधित है, तो रायल्टियों के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी।
6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियाँ प्रयोग, प्रयोगाधिकार के संबंध में जिस के लिए वह अदा की जाती है, किसी भी कारण से उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर ऐसे संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी द्वारा सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगियों के आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 13

तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. तथापि, इस प्रकार की तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है तथा दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “तकनीकी सेवाओं के लिए फीस” पद का अभिप्राय है तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं के उपबंध सहित कोई प्रबंध-कार्य, या तकनीकी अथवा परामर्शी स्वरूप की सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इसमें इस करार के अनुच्छेद 15 तथा 16 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबन्ध लागू होंगे।

5.

(क) रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस को किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माना जाएगा, यदि अदाकर्ता उस राज्य का निवासी है। तथापि, जहां तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो, और ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

(ख) जहां उप-पैराग्राफ (क) के अंतर्गत तकनीकी सेवाओं के लिए फीस संविदाकारी राज्य में से किसी एक में उद्भूत नहीं होती है और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस संविदाकारी राज्यों में से किसी एक में की गयी सेवा से संबंधित होती है, वहां तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी।

6. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबन्ध अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगियों के आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 14

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले ऐसे अभिलाभ भी शामिल हैं, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों के अंतरण से अथवा इस प्रकार के जलयानों, वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसका वह विक्रेता निवासी है।

4. किसी ऐसी कंपनी, जिसकी मुख्यतः अचल संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदाकारी राज्य में स्थित है, उसके पूंजी स्कंध के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

5. किसी कंपनी, जो संविदाकारी राज्य की निवासी है, पर पैराग्राफ 4 में उल्लिखित के अलावा शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 तथा 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।

अनुच्छेद 15**स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं**

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा इसी प्रकार के स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा :

- क) यदि उसका अपने कार्य-कलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा
- ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां संबंधित किसी बारह महीने की अवधि में; जो संबंधित राजकोषीय वर्ष में प्रारंभ या शुरू हो रही हो; कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक दिन हों, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त हुई हो।

2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, इंजीनियरों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, वास्तुविदों, दंत चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 16**परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं**

1. अनुच्छेद 17, 19, 20, 21 और 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, बशर्ते कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है। यदि ऐसा नियोजन किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जा सकेगा, यदि :

- क) प्राप्तकर्ता, संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारंभ हुए किसी बारह महीने की ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रह रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं हैं;
- ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
- ग) पारिश्रमिक ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित किसी पोत अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर, उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 17**निदेशकों की फीस**

निदेशकों की फीस और इसी तरह की अन्य अदायगियों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 18**कलाकार और खिलाड़ी**

1. अनुच्छेद 15 और 16 के उपबंधों के बावजूद भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी आय पर अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के बावजूद, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हों।
3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे यदि उस राज्य में की गई यात्रा पूर्णतया अथवा मुख्यतया दूसरे राज्य या उसके राजनैतिक उपप्रभागों या स्थानीय प्राधिकरणों की सार्वजनिक निधियों द्वारा समर्थित हों। ऐसे मामले में, उस आय पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगता है, जिसके वे मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी हैं।

अनुच्छेद 19**पेंशन**

अनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अध्याधीन, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को उसके पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 20**सरकारी सेवा**

1. क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा निकाय द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा।
 - ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हैं, और व्यक्ति उस राज्य का एक निवासी हो, जो :
 - (i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है; अथवा
 - (ii) सेवाएं पेश करने के प्रयोजन मात्र के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।
2. क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा उनके द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई किसी पेंशन पर केवल उस राज्य में कर लग सकेगा।
 - ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, यदि व्यक्ति उस दूसरे राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक हो।
3. अनुच्छेद 16, 17, 18 और 19 के उपबंध, किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा निकाय द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 21**प्रोफेसर, अध्यापक और शोध छात्र**

1. कोई प्रोफेसर, अध्यापक या शोध कर्ता जो दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अथवा दूसरे राज्य में ऐसे ही अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षण या शोध कार्य या दोनों के प्रयोजन हेतु उस दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरन्त पूर्व किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, तो उसको उस दूसरे राज्य में उसके आगमन की तारीख से 2 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए ऐसे शिक्षण या शोध कार्य के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।
2. यह अनुच्छेद शोध कार्य से प्राप्त आय पर केवल तभी लागू होगा, यदि व्यक्ति द्वारा किया जा रहा ऐसा शोधकार्य लोकहित में हो तथा मुख्य रूप से किन्हीं निजी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लाभ के लिए न हो।

अनुच्छेद 22**विद्यार्थी**

1. कोई विद्यार्थी जो दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरन्त पूर्व किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, उसे अनुदान, ऋण और छात्रवृत्ति के अतिरिक्त उस राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी:
 - (क) उस राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके निर्वाह, शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए किए गए भुगतान पर; और
 - (ख) नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर जो वह दूसरे संविदाकारी राज्य में करता है यदि वह नियोजन प्रत्यक्ष रूप से उसके अध्ययनों से जुड़ा है।
2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी समयावधि तक उपलब्ध होंगे जो ऐसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए तर्कसंगत हो अथवा प्रथागत रूप से अपेक्षित है परन्तु किसी भी हाल में किसी व्यक्ति को उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उसकी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथम आगमन की तारीख से लगातार सात साल से अधिक समय तक प्राप्त नहीं होंगे।

अनुच्छेद 23**अन्य आय**

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी।
2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है, तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।
3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों होते हुए भी, के संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती है, उस दूसरे राज्य में भी कर लगेगा।

अनुच्छेद 24**दोहरे कराधान का निरसन**

इस बात पर सहमति है कि दोहरा कराधान का परिहार इस अनुच्छेद के निम्नलिखित पैराग्राफों के अनुसार किया जाएगा:

1. ईरान इस्लामी गणराज्य के मामले में:

- क) जहां ईरान इस्लामी गणराज्य का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, ईरान इस्लामी गणराज्य वहां उस निवासी की आय पर कर से भारत में अदा किए गए आयकर के बराबर राशि की छूट की अनुमति देगा।

तथापि, ऐसी कटौती, छूट दिए जाने से पहले यथा-संगणित कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जिसका श्रेय उस आय को हो जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है।"

- ख) जहां इस करार के किसी उपबंध के अनुसार ईरान इस्लामी गणराज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय भारत में कर से छूट प्राप्त हो, ईरान इस्लामी गणराज्य वहां छूट के बावजूद भी ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की धनराशि की संगणना के समय छूट-प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

2. भारत के मामले में:

- क) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार ईरान इस्लामी गणराज्य में कर लगाया जा सकता है, भारत वहां उस निवासी की आय पर कर से ईरान इस्लामी गणराज्य में अदा किए गए कर के बराबर राशि की छूट की अनुमति देगा।

तथापि, ऐसी कटौती, छूट दिए जाने से पहले यथा-संगणित आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जिसका श्रेय उस आय को हो, जैसा भी मामला हो, जिस पर उस ईरान इस्लामी गणराज्य में कर लगाया जा सकता है।

- ख) जहां इस करार के किसी उपबंध के अनुसार भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय भारत में कर से छूट प्राप्त हो, भारत वहां फिर भी ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की धनराशि की संगणना के समय छूट-प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

अनुच्छेद 25**गैर-भेदभाव**

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर विशेषतः निवास के संबंध में उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जा सकती हो। अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है।

3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है।

4. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7, अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 या अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गए ब्याज, रायल्टी, तथा अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती-योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को किया गया हो।

5. इस अनुच्छेद के प्रावधान इस करार द्वारा आच्छादित करें पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 26

पारस्परिक करार की विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों द्वारा उपलब्ध कराए गए उपायों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है। इस मामले को उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए किसी करार को संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में किन्हीं समय सीमाओं के होते हुए भी क्रियान्वित किया जाएगा।

3. इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाईयां अथवा शंकाएं हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई हो।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती पैराग्राफों को ध्यान में रखकर समझौते पर पहुंचने के लिए एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद में उपलब्ध पारस्परिक करार विधि को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं, शर्तों, विधियों एवं तकनीकों को विचार-विमर्शों के माध्यम से तैयार करेंगे।

अनुच्छेद 27

सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना जिसमें दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियां शामिल हैं, का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थनीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के तहत प्राप्त किसी सूचना को उसी तरह गुप्त के रूप में माना जाएगा जैसे कि उस राज्य के घरेलू कानूनों के तहत सूचना प्राप्त होती है और इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, या उपर्युक्त की चूक में संदर्भित करों के संबंध में अपीलों के निर्धारण के संबंध में मूल्यांकन या संग्रहण या प्रवर्तन या अभियोजन से संबद्ध (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय सहित) व्यक्तियों या प्राधिकारियों को ही प्रकट की जाएगी। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए सूचना का उपयोग करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा

प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो तथा आपूर्तिकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करते हों।

3. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

- क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;
- ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी सूचना का अनुरोध किया गया हो, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, भले ही दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।

अनुच्छेद 28

लाभों की पात्रता

इस करार के अन्य उपबंधों के बावजूद, इस करार के अंतर्गत आय के किसी मद के संबंध में कोई लाभ नहीं दिया जाएगा यदि सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मानना समुचित हो कि इस प्रकार का लाभ हासिल करना ही किसी समझौते अथवा संव्यवहार के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ही था जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः वह लाभ हुआ है, जब तक कि यह सिद्ध नहीं होता हो कि इन परिस्थितियों में उस लाभ का प्रदान किया जाना इस करार के संगत उपबंधों के लक्ष्य तथा उद्देश्यों के अनुरूप है।

अनुच्छेद 29

राजनयिक मिशनों के सदस्य और कौंसुली पद

इस करार की किसी बात से अंतरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशन अथवा कौंसुली अधिकारियों के सदस्यों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 30

प्रवर्तन

1. संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं की पूर्ति के संबंध में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं की परवर्ती तारीख को लागू होगा।
3. इस करार के उपबंधों का निम्नानुसार प्रभाव होगा :
 - क) ईरान इस्लामी गणराज्य में, जिस कैलेंडर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष के फरवर्दीन के पहले दिन (भारत में 21 मार्च के अनुरूप) अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न आय पर करों के सम्बंध में;
 - ख) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख को (ईरान इस्लामी गणराज्य में 12 फरवर्दीन के अनुरूप) अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त की गई आय के संबंध में।

अनुच्छेद 31

समापन

यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि कोई एक संविदाकारी राज्य इसे समाप्त नहीं कर देता। दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से समापन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह करार निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

- क) ईरान इस्लामी गणराज्य में, जिस कैलेंडर वर्ष में यह नोटिस दिया गया था उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष के फरवर्दीन के पहले दिन (भारत में 21 मार्च के अनुरूप) अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न आय पर करों के सम्बंध में;
- ख) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में यह नोटिस दिया गया था उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख को (ईरान इस्लामी गणराज्य में 12 फरवर्दीन के अनुरूप) अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त की गई आय के संबंध में।

नई दिल्ली में 28/11/1396 सौर हिजरा 17/02/2018 तारीख के अनुरूप हिन्दी, फारसी और अंग्रेजी में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में किसी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत गणराज्य की

सरकार के लिए

हस्ताक्षरित/-

सुशील चन्द्रा

अध्यक्ष,

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

ईरान इस्लामी गणराज्य की

सरकार के लिए

हस्ताक्षरित/-

मुहम्मद खजाई

उप-मंत्री, आर्थिक कार्य एवं वित्त

एवं अध्यक्ष, निवेश संगठन,

ईरान की आर्थिक एवं तकनीकी सहायता

प्रोटोकॉल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और ईरान इस्लामी गणराज्य के बीच करार पर हस्ताक्षर करने के समय अधोहस्ताक्षरी सहमत हुए हैं कि निम्नलिखित उपबंध इस करार के अभिन्न अंग होंगे:

1. यह ज़ाहिर है कि इस करार के प्रयोजनार्थ:

(क) "राजकोषीय वर्ष" शब्द से अभिप्रेत है:

(i) भारत के मामले में, अप्रैल की पहली तारीख से शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष;

(ii) ईरान इस्लामी गणराज्य के मामले में: ईरान इस्लामी गणराज्य के प्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत यथा परिभाषित कर वर्ष/राजकोषीय वर्ष।

ख) शब्द से, संदर्भ के अनुसार, भारतीय कर अथवा ईरानी कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी, जो उन करों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संदर्भ में देय हो, जिन पर यह करार लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदंड अथवा जुर्माने का द्योतक हो। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त कमी, चूक, शास्ति अथवा आर्थिक दंड के लिए देय राशि की कर क्रेडिट देने के लिए गणना नहीं की जाती।

2. अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 (क) में दी गई समय सीमा के संगणन के प्रयोजनार्थ, 270 दिनों की अवधि उस तिथि को शुरू होती है जिस तिथि को निर्माण संबंधी गतिविधि ही प्रारम्भ होती है। इसमें परमिट अथवा लाइसेंस प्राप्ति जैसी केवल तैयारी सम्बंधी गतिविधियों में लगाए गए समय की गणना नहीं की जाती।

3. अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में यह समझा जाता है कि:

किसी संविदाकारी राज्य के किसी परिवहन उद्यम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त कंटेनरों (जिसमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर तथा अन्य उपस्कर शामिल हैं) के प्रयोग, रख-रखाव अथवा कंटेनरों को किराए पर देने से प्राप्त लाभ जो अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन के प्रतिपूरक अथवा प्रासंगिक हैं, केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जब तक कि उन कंटेनरों का प्रयोग केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर न किया जाए।

4. अनुच्छेद 11 के प्रयोजनार्थ, भारत के मामले में, केंद्रीय बैंक शब्द का तात्पर्य "भारतीय रिजर्व बैंक" से है।

5. अनुच्छेद 15 के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि यह अनुच्छेद केवल उस निवासी पर लागू होता है जो एक व्यक्ति है।

6. अनुच्छेद 21 के पैरा 1 के संदर्भ में यह समझा जाता है कि:

इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को किसी संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह उस आय के वित्तीय वर्ष में अथवा उससे तुरंत पहले आय के वित्तीय वर्ष में उस राज्य का निवासी है जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है।

7. अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 2 (गैर-भेदभाव) के संदर्भ में यह समझा जाता है कि:

ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये प्रावधान किसी संविदाकारी राज्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थाई सस्थपन के लाभों पर कर की उस दर को लगाने से रोकते हैं, जो प्रथमोल्लिखित राज्य की समान कम्पनी के लाभों पर लगाई गई उन करों की दर से अधिक हों और न ही इसका अर्थ अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल होना समझा जाएगा। यह भी समझा जाता है कि किसी भी स्थिति में किसी स्थाई संस्थापन, जो एक संविदाकारी राज्य का दूसरे संविदाकारी राज्य में एक उद्यम है, का कराधान दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा किसी तीसरे राज्य के साथ सम्पन्न दोहरे कराधान करार के अंतर्गत समान गतिविधियों पर उस तीसरे राज्य के उद्यम के स्थाई संस्थापन से वसूले गए कराधान से कम नहीं वसूला जाएगा।

8. करार के अनुच्छेद 27 (सूचनाओं का आदान-प्रदान) के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि:

क) सूचना के आदान-प्रदान का केवल तभी अनुरोध किया जाएगा जब अनुरोधकर्ता संविदाकारी राज्य सूचना प्राप्त करने के लिए उसके अपने क्षेत्र में उपलब्ध सभी साधनों, सिवाय उनके जिनसे बेहिसाब कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, की पैरवी कर चुका हो।

ख) अनुच्छेद 27 के तहत सूचनाओं का अनुरोध करते समय अनुरोधकर्ता राज्य अनुरोधी राज्य को निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाएगा:

- (i) जांच-पड़ताल अथवा जांचाधीन व्यक्ति के नाम सहित उसकी पहचान; और पता, टीआईएन एवं राष्ट्रीय पहचान संख्या, यदि उपलब्ध हो, जैसे कोई अन्य विवरण जिनसे उस व्यक्ति की पहचान में सहायता मिले;
- (ii) वह अवधि, जिसके लिए सूचना का अनुरोध किया गया है;
- (iii) अनुरोध की गई सूचना का स्वरूप तथा वह प्रारूप यदि कोई हो, जिसमें अनुरोध करने वाला राज्य उसे अनुरोधित राज्य से प्राप्त करना चाहता है;
- (iv) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है;
- (v) जहां तक ज्ञात हो किसी व्यक्ति का नाम, पता और इस उप-पैराग्राफ के खंड (i) में उल्लिखित अन्य विवरण, जिसके पास अनुरोधित सूचना होने का अनुमान है।

ग) "पूर्वाभासी प्रासंगिकता" के संदर्भ का आशय जितना सम्भव हो सके उतना अधिक कर सम्बंधी मामलों में सूचनाओं का आदान-प्रदान उपलब्ध करवाना है, इसके साथ-साथ, यह स्पष्ट करना है कि संविदाकारी राज्यों के पास "फिशिंग अभियान" में कार्यशील होने अथवा उस सूचना का अनुरोध करने की स्वतंत्रता नहीं है जिसके किसी सम्बंधित करदाता के कर मामलों से संगत होने की सम्भावना नहीं है।

घ) सूचनाओं का स्वतः अथवा स्वतः प्रवर्तित आदान-प्रदान दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच कार्यावयन करार के समापन पर लागू हो सकता है।

ङ) उन मामलों में जहाँ सूचनाओं के आदान-प्रदान में अनुरोधित राज्य की सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया लागत से अधिक लागत लगती है, अनुरोधी राज्य अधिक लागत का वहन करेगा, जैसा कि संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच परस्पर सहमति हुई हो।

च) अनुरोधित राज्य द्वारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि उपलब्ध कराया जाने वाला डाटा सही हो। यदि यह पता चलता है कि गलत डाटा उपलब्ध कराया गया है, तो अनुरोधी राज्य को इसके बारे में तुरंत सूचित किया जाएगा। उस राज्य द्वारा ऐसा डाटा बिना किसी विलम्ब के ठीक किया जाना अपेक्षित होगा।

छ) अनुरोधी एवं अनुरोधित राज्य उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं की अनधिकृत पहुंच, उनमें परिवर्तन तथा उनके प्रकटन से सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे।

9. यह समझा जाता है कि जब ईरान अपने घरेलू कानून में अन्य संधि भागियों को करों के संग्रहण में सहायता सम्बंधी किसी उपबंध को शामिल करता है अथवा ऐसी सहायता को अन्य संधि भागियों को उपलब्ध करवाने के लिए सहमत होता है, तो दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से एक दूसरे को करों के संग्रहण में सहायता प्रदान करने के लिए प्रयोज्यता के साधन का समाधान करेंगे।

10. जहाँ तक करार के अभिलाभों के परिसीमन का सम्बंध है, यह समझा जाता है कि इस करार के उपबंध किसी भी स्थिति में एक संविदाकारी राज्य को उसके घरेलू कानून के उपबंधों की प्रयोज्यता तथा कर अपवंचन अथवा परिहार सम्बंधी उपायों पर रोक नहीं लगाएंगे।

नई दिल्ली में 28/11/1396 सौर हिजरा 17/02/2018 तारीख के अनुरूप हिन्दी, फारसी और अंग्रेजी में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में किसी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर अधोहस्ताक्षरियों ने, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत गणराज्य की
सरकार के लिए

ईरान इस्लामी गणराज्य की
सरकार के लिए

हस्ताक्षरित/-
सुशील चन्द्रा
अध्यक्ष,
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

हस्ताक्षरित/-
मुहम्मद खजाई
उप-मंत्री, आर्थिक कार्य एवं वित्त
एवं अध्यक्ष, निवेश संगठन,
ईरान की आर्थिक एवं तकनीकी सहायता
[अधिसूचना सं. 29/2021/फा. सं. 501/03/92-एफटीडी-II]

राजेश कुमार भूत, संयुक्त सचिव